वेबीनार

# बाल विवाह रोकथाम से जुड़े कार्यक्रमों में सफ़लता को कैसे मापें?

## विवाह की उम्र, अस्तित्व/एजेन्सी और इस संदर्भ से जुड़े बदलाव के आंकलन पर चर्चा

वक्ता (अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रमानुसार): **अइसाडुमारा नगातान्सू,** *एसोसिएशन फ़ॉर द एलिमिनेशन ऑफ़ वाइलेन्स अगेन्स्ट विमेन;* **एना एगीलेरा,** *इन्जेण्डर हैल्थ;* **चीमा इज़ुगबारा,** *इन्टरनेशनल सेन्टर फ़ॉर रिसर्च ऑन विमेन;* **सिन्थिया अमानेसर, वैलास्को बॉटेलो;** *ला सीएबा;* **एरिन मर्फ़ी–ग्राहम,** *युनिवर्सिटी ऑफ़ कैलीफ़ोर्निया, बर्कली;* **यूजीनिया लोपेज़ उरीबे,** *इन्टरनेशनल प्लान्ड् पैरेन्टहुड फ़ेडरेशन;* **कैथी हॉल,** *सम्मिट फ़ाउन्डेशन;* **शीना हादी,** *आहंग;* **योगेश वैष्णव,** *विकल्प संस्थान*

संचालनः **माग्रेट ई. ग्रीन,** *ग्रीन वर्कस्*

सितम्बर 2021 में चाइल्ड, अर्ली एंड फ़ोर्स्ड मैरेज एंड यूनियन (सीईएफ़एमयू) और यौनिकता पर काम कर रहे समूहों के सदस्यों ने जर्नल ऑफ़ एडोलोसेन्ट हैल्थ में संपादक के नाम एक पत्र प्रकाशित किया। यह पत्र बात करता है कि: 1) एक ऐसे दृष्टिकोण की ज़रूरत है जो सीईएफ़एमयू के उस कार्यक्रमों की सफ़लता को परिभाषित और मापने की बात करे, विवाह की उम्र को एक अकेले सूचक के रूप में देखने के अलावा भी; 2) उन जेण्डर परिवर्तनकारी कार्यक्रमों के लिए अधिक सहयोग हो जो जेण्डर और यौनिकता से जुड़े क़ायदों में बदलाव और किशोरियों के अस्तित्व को बढ़ावा देने की बात करते हैं; और 3) ऐसे शोध और आंकलन/मूल्याँकन कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए जिससे इन क्षेत्रों में हो रहे वास्तविक बदलावों को बेहतर रूप से देखा जा सके।

2 फ़रवरी, 2022 को, इस समूह ने इन मुद्दों पर बात करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया। पैनलिस्ट में समूह सदस्यों के साथ, विश्व भर से किशोरियों के साथ और उनके लिए काम रहे फ़ंडर, शोधकर्ता, पैरोकार, और ज़मीनी स्तर पर कार्यक्रम को चलाने वाले शामिल हुए। उन्होंने एक मंच पर आकर आगे दिए गए मुद्दों पर अपना नज़रिया प्रस्तुत किया 1) क्यों केवल विवाह की उम्र बढ़ जाने को सफ़लता का एक अकेला सूचक मानने से आंकलन सीमित और संभावित रूप से नुक़सानदेह है; 2) सीईएफ़एमयू के मूल कारणों में बदलाव लाने के लिए क्या बेहतर वैकल्पिक कार्यक्रम, विचारधारायें या आंकलन के तरीक़े हो सकते हैं; और 3) इस क्षेत्र की क्या अवश्यकतायें हैं – फ़ंडर से, शोधकर्ताओं से – जो किशोरियों के लिए हो रहे कामों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक स्वतंत्रता और बेहतर जीवन अवसर प्रदान करने की ओर ले जा सके।

## मुख्य बातें जो निकल कर आईं

### सीईएफ़एमयू कार्यक्रमों में विवाह की उम्र को सफ़लता का एक मुख्य सूचक बनाने में क्या दिक़्क़त या परेशानी है?

बाल विवाह को रोकने और किशोरियों को आगे बढ़ाने के प्रयासों की सफ़लता को अक्सर किशोरी का किस उम्र में विवाह हो रहा है, उससे परिभाषित करके मापा जाता है। विवाह की उम्र एक आकर्षक सूचक दिखाई देता है क्योंकि यह बिल्कुल सामने का है और इसे आँकड़ों में मापा जा सकता है, और यह कहीं भी कार्यक्रमों में स्वीकार्य है। इस मुद्दे पर यह सूचक वैश्विक प्रगति को एक नज़र में आसानी से दिखा सकता है (जैसे सतत विकास लक्ष्य 5.3 में)।

लेकिन राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों और नीतियों को मापने के इकलौते माध्यम के रूप में देखा जाए तो, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे लोग, शोधकर्ता, और फंडर, सभी इस वेबीनार में इस बात पर सहमत थे कि सफ़लता के सूचक के रूप में केवल उम्र को देखना, अपने आप में, सीमित – और संभावित रूप से समस्याजनक हो सकता है। नीचे कुछ कारण दिए गए हैं जो उन्होंने सामने रखेः

- सबसे पहले, उम्र हमारा ध्यान विवाह को देरी से करने पर केन्द्रित करती है और सीईएफ़एमयू के मूल कारण – जेण्डर असमानता को दबा देती है। पितृसत्तात्मक सामाजिक क़ायदे और संरचनायें एक किशोरी की अपनी यौनिकता, अपने शरीर,

और संबन्धों से जुड़े निर्णयों को स्वंय ले पाने की क्षमता को सीमित करती हैं। यह क़ायदे एक लड़की के 18 वर्ष के होते ही ग़ायब नहीं हो जाते हैं। लड़किया जिनका विवाह 19 की उम्र में होता है, उनका भी अक्सर इस बात पर नियन्त्रण नहीं होता कि वह किससे शादी करेंगीं, क्या वह बच्चे पैदा करना चाहेंगीं और कब, या फिर क्या वे अपना ध्यान अपने काम पर लगा कर आजीविका कमाना चाहती हैं। इस ताने–बाने में फंसी एक 20 वर्षीय युवती भी घरेलु हिंसा होने के प्रति अतिसंवेदनशील स्थिति में हो सकती है।

> "सीईएफ़एमयू की इस चर्चा के केन्द्र में आधारभूत रूप से यौनिकता का मुद्दा ही है।" – एना एगीलेरा

- लड़की का विवाह किस उम्र में हो रहा है, यह कहानी का केवल एक हिस्सा बताता है, जो हमेशा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होता है। ऐसे कार्यक्रम जो सामाजिक क़ायदों और किशोरियों को मिलने वाले अवसरों में आने वाली बाधाओं को शामिल करके काम नहीं करते, हो सकता है कि किशोरियों के विवाह की उम्र बढ़ाने को सफ़लता मान लें और इस तरह से बिना वास्तविक समस्या को हल किए ख़ुद को सफ़ल भी मान लें। उदाहरण के लिए, सशर्त 'कैश ट्रांस्फ़र' (नक़द हस्तांतरण) को विवाह की उम्र 18 तक ले जाने में प्रभावी पाया गया। लेकिन इनसे यह नहीं साबित होता कि इसने किशोरियों के लिए शिक्षा और अन्य अवसरों तक पहुँच को भी बढ़ा दिया है। इसलिए, कुछ उदाहरणों में, किशोरियाँ शादी होने के लिए केवल 18 वर्ष की होने का इन्तेज़ार कर रही होती हैं बिना जीवन के अन्य व्यापक अवसरों और विकल्पों का लाभ या आनंद उठाते हुए।

> "यदि कार्यक्रमों और नीतियों का नज़रिया केवल विवाह की उम्र तक घटा दें, तो हम मान रहे हैं कि 18 वर्ष की होना ही वह तत्व है जो एक लड़की और किशोरावस्था की स्वायत्ता को निर्धारित करता है। या फिर यह वही है जो एक विवाह के, वांछित होने और हिंसा मुक्त होने की गारन्टी देता है .... यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा काम अपने कार्यक्रम निर्माण में वापस किशोरियों की स्वायत्ता को प्राथमिक तत्व के रूप में शामिल करने पर लौट आए।" यूजीनिया लोपेज़ उरीबे

- विवाह की उम्र पर केन्द्रित प्रयास अक्सर क़ानूनी प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हैं जो किशोरियों की ज़रूरतों और इच्छाओं को सहयोग देने के बजाए पुरुष और किशोरों को सज़ा देने पर अधिक केन्द्रित रहते है। किशोरियाँ अक्सर अपने हित के लिए क़ानूनी व्यवस्था तक पहुँच नहीं बना पातीं हैं, क़ानून अधिकतर किशोरियों की पहुँच से बाहर हैं, और इसके अलावा हो सकता है कि यह उन्हें नुक़सान पहुँचने का काम करे या उन किशोरियों को जो अपनी इच्छा और मर्ज़ी से शादी करती हैं, को सज़ा देने का काम करे।

> "हमें देखना होगा कि क़ानूनी एजेण्डा....हमेशा सज़ा देने वाला ही क्यों होता है। हम जानते हैं कि यह दण्डात्मक उपायों यौनिक अधिकारों की बात आने पर उसी पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देगी, यदि सामाजिक क़ायदों को नहीं बदला गया।" शीना हादी

- कम उम्र की किशोरियाँ जो पहले से ही विवाहित हैं या किसी रिश्ते में हैं, उनकी ज़रूरतें और वास्तविकतायें, विवाह की उम्र पर ध्यान केन्द्रित करने से, अदृश्य हो सकती हैं या उनसे ध्यान हट सकता है। यह किशोरियाँ असल में अविवाहित किशोरियों की तरह ही उन अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों से लाभ उठा सकती हैं।

## यदि (केवल) विवाह की उम्र को नहीं देखें तो, हमारे बाल विवाह रोकने और किशोरियों को सहयोग देने के प्रयासों की सफ़लता हम किसे मानेंगें?

> "यह (बाल विवाह) मुद्दा वास्तव में जेण्डर आधारित असमानता और हिंसा से उलझा हुआ है, इसे केवल उम्र पर ध्यान केन्द्रित करके सुलझाया नहीं जा सकता है .... दीर्घकालीन प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे किशोरियाँ निर्णय लेने की स्वायत्ता और अपना अस्तित्व बना सकें," योगेश वैश्नव

- संदर्भ के आधार पर बाल विवाह का प्रचलन अलग–अलग है, और सफ़लता की परिकल्पना को किसी जगह की वास्तविकताओं और किशोरियों की ज़रूरतों और इच्छाओं पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी संघर्षग्रस्त संदर्भ में सफ़लता, जहाँ जबरन विवाह की दर बहुत अधिक है, किसी उस जगह की सफ़लता से बिल्कुल भिन्न दिखाई देगी जहाँ लड़कियाँ गर्भवती हो जाने पर विवाह को एक इकलौते सहारे और हल के रूप में देखती हैं।
- संदर्भों पर ध्यान दिए बिना, सभी वक्ता इस बात पर सहमत थे कि सफ़लता का अर्थ किशोरियों के जीवन में अर्थपूर्ण बदलाव लाना है जो उनके अधिकारों और अवसरों को बढ़ाये। इसका मतलब यह है कि सामाजिक क़ायदों और संरचनाओं को बदलना जो अनचाहे विवाह और संबन्धों की ओर ले जाती हैं और साथ ही किशोरियों के सशक्तिकरण और अस्तित्व/एजेन्सी को बढ़ाना जिससे वह यदि, किससे, कब विवाह करना है – इस सब के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और साथ ही अपने शरीर और जीवन से जुड़े अन्य निर्णयों को भी वह ख़ुद ले सकें। अंततः, सफ़लता का अर्थ एक अधिक जेण्डर समान समाज बनाने की दिशा में काम करना ही है।

## हम अपने कार्यक्रम, पैरवी और फ़ंडिग के माध्यम से इस सफ़लता को कैसे प्राप्त करें?

- बाल विवाह एक जटिल मुद्दा है, और सफ़लता के लिए एक बहु आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो किशोरियों के सामाजिक संदर्भों के अनुसार हो। ग़रीबी घटाने और शिक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण ज़रूर हैं, लेकिन वे अकेले इन मुद्दों की तह में मौजूद जेण्डर असमानता पर काम करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। बल्कि, हमने लैटिन अमरीका में देखा है कि जहाँ समय के साथ माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभागिता दर बढ़ी है, वहीं जल्दी विवाह और कम उम्र में गर्भावस्था के मामलों में बहुत कम गिरावट आई।
- वक्ताओं ने दीर्घकालीन, स्थानीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पर ज़ोर डाला जिन्हें किशोरियों से इन्पुट लेकर बनाया गया हो। इस तरह के कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण जो जेण्डर क़ायदों में बदलाव लाने के लिए आधार बन सकते हैं, उनमें शामिल हैः
  - किशोरी समूह जो उनकी खुद की महत्ता या एहमियत, नेतृत्व क्षमताओं का निर्माण करते हैं और सहयोगी तंत्र या नेटवर्क जो उन्हें अपने माता–पिता और समुदाय से विवाह और जीवन से जुड़े अन्य चुनावों पर चर्चा या तर्क–वितर्क करने में मदद देते हैं;
  - व्यापक यौनिकता शिक्षा (कॉम्प्रिहैन्सिव सैक्शुएलिटी एजुकेशन) जो जेण्डर क़ायदों पर बात करे, यौन और यौनिकता के बारे में जानकारी दे और हर बात या चीज़ पर हर बिन्दु से सोचना समझना सिखाती है;
  - किशोरियों के लिए खेल कार्यक्रम जिसके माध्यम से किशोरियों को उन गतिविधियों, जिनकी परंपरागत रूप से उनको मनाही है, में शामिल करके रूढ़ीवादी क़ायदों को चुनौती दी जाती हैं;
  - वह कार्यक्रम जो विवाहित या किसी रिश्ते में शामिल किशोरियों को सहयोग देते हों, जिसमें उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम, बच्चा पैदा करना/ना करना और आजीविका के अवसरों पर बातचीत करना और घरेलू हिंसा से मुक्त जीवन से संबन्धित कार्यक्रम शामिल हैं;
  - वह कार्यक्रम जो पुरुषों और किशोरों को यौनिकता, मर्दानगी, अहिंसा और सम्मान के मुद्दों से जोड़ते हैं।

> "हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम किशोर–किशोरियों के बीच यौनिकता को प्रचारित करते हैं। वास्तविकता यह है कि यौनिकता को किसी 'प्रचारक' की आवश्यकता नहीं है। वह मौजूद है – और उसे एक सुखद और स्वस्थ तरीक़े से जीना एक अधिकार है।" सिन्थिया अमानेसर, वैलास्को बॉटेलो

- पैरवी के एजेण्डे मे भी किशोरियों के नज़रिये को केन्द्र में रखने की आवश्यकता है। पैरवी की प्राथमिकताओं के उदाहरणों में शामिल हैंः
  - ऐसे क़ानून और नीतियों की मांग करना जो किशोरियों के लिए अवसरों को बढ़ाए और उनके स्वास्थ्य अधिकार की बात करे – इसमें गर्भनिरोधक और सभी यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के अलावा अच्छी शिक्षा, उपयुक्त नौकरियाँ और हिंसा से मुक्ति शामिल है।

> "माता–पिता, धार्मिक लीडर, समुदाय के अन्य लोगों के साथ पैरवी करना बहुत ज़रूरी है ..... हमारे पास बाल विवाह के विरुद्ध क़ानून हैं, लेकिन यह हमारी संस्कृति में है, तो हमें इन क़ायदों को बदलने की ज़रूरत है।" अइसाडुमारा नगातान्सू, *एसोसिएशन फ़ॉर द एलिमिनेशन ऑफ़ वाइलेंस अगेन्स्ट विमेन*

- इन प्रयासों मे फ़ंडर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके लिए दिए गए सुझावों में शामिल हैः
  - साथी संस्थाओं (जिन्हें फंड दिया गया है) की बात सुनें और समझने का प्रयास करें कि उनके संदर्भ में सफ़लता किस तरह से दिखाई देती है;
  - सफ़लता कैसे दिखाई देती है और उसे विभिन्न संदर्भों में कैसे मापा जा सकता है इसके लिए लम्बे समय के, समग्र कार्यक्रमों, और साथ ही अधिक शोध के लिए फ़ंड दें;
  - जब फंड या कार्यक्रम की अवधि बहुत कम हो तो इस बारें में वास्तविक रूप से सोचें कि एक बड़े दीर्घकालीन बदलाव को लाने की दिशा में सफ़लता के कौन से अल्पकालिक सूचकों की अपेक्षा की जा सकती है।

> "डोनरर्स के पास चेकबुक होती है लेकिन सभी सवालों के जवाब नहीं होते।" कैथी हॉल, *सम्मिट फ़ाउन्डेशन*

## हम इस सफ़लता का आंकलन कैसे करें?

> "यदि हम बाल विवाह को जेण्डर असमानता, महिलाओं व किशोरियों के विरुद्ध हिंसा, नुक़सान पहुँचाने वाले जेण्डर क़ायदे, और ग़रीबी के एक लक्षण या अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं – तो कार्यक्रमों या नीतियों का मूल्याँकन करने के तरीक़े एकदम से बदल जाते हैं। " एरिन मर्फ़ी–ग्राहम

- विवाह की उम्र शायद मात्र एक ऐसा सूचक हो सकता है जिससे बाल विवाह के कार्यक्रमों का आंकलन किया जाए, लेकिन यह एक अकेला और सबसे महत्वपूर्ण सूचक नहीं हो सकता है। फ़ंडरों को भी केवल इस आधार पर कि किशोरी का विवाह 18 वर्ष के पहले हो रहा है या बाद में, सहयोगी प्रकार के कार्यक्रमों की सफ़लता को नहीं आँकना चाहिए। हमें सफ़लता के बाहरी, वैश्विक विचार से अलग हट कर उसके बजाए किशोरी की माँगें, उसकी इच्छायें, उसकी ज़रूरतें – इन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे उनके जीवन के विकल्प व्यापक हो सकें।
- कार्यक्रम और नीतियों की सफ़लता को मापने के तरीक़ो के उदाहरणों मे शामिल हैः जेण्डर समान नज़रिये, किशोरियों की सार्वजनिक जगहों पर भागीदारी, गर्भनिरोधकों की उपलब्धता, खुद को सुरक्षित रखने पर ध्यान, विवाह में देरी चाहे यदि 18 वर्ष की उम्र तक ना भी हो, वैवाहिक निर्णयों में भागीदारी और किशोरियों के लिए सहयोग और मज़बूती देने वाले स्रोतों, इन सब को आंकलन में शामिल करना। संस्थायें पहले से ही इस तरह के वैकल्पिक सूचकांकों के साथ प्रयोग कर रही हैं।

> "अपने सभी संसाधनों को लगाकर .... लोग किस उम्र में विवाह करते हैं केवल उसे बढ़ा देना, समस्याजनक और अनुचित दोनों ही है। यह अप्रभावी भी है और संभावित रूप से नुक़सानदेह भी। यह दीर्घकालीन सतत् विकास के लिए कौशल के साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के ..... सभी प्रयासों के उद्देश्यों को हरा देता है।" चीमा इज़ुगबारा

## संबन्धित संसाधनः

वेबीनार की रिकॉर्डिंग

मल्टीडाइमेन्शनल मेजर्स आर की टू अन्डरस्टैन्डिंग चाइल्ड, अर्ली, एंड फ़ोर्सड् मैरेजस एंड यूनियन्स, एन एगीलेरा, साराह ग्रीन, मारग्रेट ई. ग्रीन, चिमाराओकेल्ज़ुग्बारा, एरिन मर्फ़ी–ग्राहम, जर्नल ऑफ़ एडोलोसेन्ट हैल्थ (2021) में

शेयरड् रूट्स, डिफ़रेन्ट ब्रान्चेसः अन्डरस्टैन्डिंग चाइल्ड, अर्ली, एंड फ़ोर्सड् मैरेज इन डाइवर्स ग्लोबल सैटिंगस्, कई लेखक, जर्नल ऑफ़ एडोलोसेन्ट हैल्थ (2022) में एक परिशिष्ट

ए ग्राउन्डब्रेकिंग सिस्टमैटिक रिव्यू, बट दैट अलोन इज़ नॉट इनफ़ टू चेन्ज द कोर्स ऑफ़ प्रोग्रामिंग ऑन चाइल्ड मैरेज प्रिवेन्शन। चंद्रा – मौली वी., प्लेसन्स एम. द्वारा जर्नल ऑफ़ एडोलोसेन्ट हैल्थ (2021) में।

हम भी हैं? युवा विवाहित लड़कियों की स्थितिः एक अध्ययन, विकल्प संस्थान और टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस (टिस) (2019)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें साराह ग्रीनः SGreen@ajws.org

**सीईएफ़एमयू और यौनिकता कार्यकारी समूह** में किशोरियों के साथ और उनके लिए उनके अधिकारों और अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही अनेक अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थायें शामिल है। हम संसाधनों का विकास करती हैं और कैसे किशोरियों और युवा महिलाओं की यौनिकता पर पितृसत्तात्मक नियन्त्रण, बाल, जल्दी और जबरन विवाह और गठबंधन की ओर ले जाने का काम करता है, इस कम संबोधित मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पैरवी करती हैं।